IN THE COURT OF
District & Session Judge
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sri Sanjeev Shukla)

Sessions Case/988/2025

State Of U.P.

VERSUS

Rubina Siddiki

दिनांक – 09.02.2026

आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्ता रूबिना सिद्दिकी उपस्थित।

आरोप के प्रश्न पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्ता उपरोक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियोजन केस का प्रारंभ अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए किया और यह भी उल्लेख किया कि वे किस साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप साबित करना चाहते हैं।

आरोप के प्रश्न पर अभियुक्ता का निवेदन सुनने के उपरांत एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्ता रूबिना सिद्दिकी को धारा–103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोपित किये जाने का आधार पर्याप्त है, अतः आरोप विरचित किया जाए।

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।
JO Code- UP1900

अभियुक्ता रूबिना सिद्दिकी को धारा–103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 23–02–2026 को पेश हो। आरोप पत्र में वर्णित साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो।

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।
JO Code- UP1900